संख्या–20/4/2002–का–2–2007टी.सी

प्रेषक,

बी0एन0 दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2007

विषयः– सीधी भर्ती के प्रकम पर निर्धारित शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय सेवानियमावलियों में सीधी भर्ती के पदों हेतु ऐसे प्राविधान विद्यमान है, जिसके अनुसार पद हेतु विहित शैक्षिक अर्हता में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हुए अभ्यर्थियों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के लिए आवेदन करने हेतु अपात्र माना जाता है। यह व्यवस्था युक्तियुक्त नहीं है।

2 अतः उपरोक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी समूह/पद से संबंधित सेवानियमावली में सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र अथवा उपाधि में उक्त पद पर आवेदन करने हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की व्यवस्था निर्धारित है, तो ऐसे पदों पर भर्ती की कार्यवाही लिखित एवं मौखिक परीक्षा के माध्यम से किये जाने हेतु संगत सेवानियमावली में नियमानुसार संशोधन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करा ली जाय।

3. उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपर्युक्त आदेश का तत्काल अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी.एन. दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या–20/4/2002(1)–का–2–2007टी.सी–तददिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(बी.एन. दीक्षित)
विशेष सचिव।